

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबन्ध

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम शासकीय स्तर पर अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है तथा अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप ई.टी.सी. (डी.ई.टी.सी.) तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओज) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों तथा नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सहायक स्टॉफ द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2015 – 16 में 40 इकाइयों (राजस्व इकाइयां: 32 तथा व्यय इकाइयां: 8) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,222 मामलों, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, में ₹ 2,716.43 करोड़ से आवेष्टित कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो कि तालिका 2.1 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	राज्य में राजस्व के बकायों को संग्रहण करने के लिए प्रणाली	1	591.63
2.	कर का अवनिर्धारण	647	766.94
3.	दोषपूर्ण सांविधिक ‘फार्मो’ की स्वीकृति	93	277.93
4.	बिक्री/खरीद के छिपाव के कारण कर का अपवंचन	40	16.52
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृति	203	51.30
6.	अन्य अनियमितताएं	207	931.26
	योग (I)	1,191	2,635.58
व्यय			
1	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	80.25
2	अन्य अनियमितताएं	30	0.60
	योग (II)	31	80.85
	कुल योग (I+II)	1,222	2,716.43

वर्ष के दौरान, विभाग ने 89 मामलों में ₹ 224.74 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 37 मामलों में आवेष्टित ₹ 217.94 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने, वर्ष 2015 – 16 में 32 मामलों में ₹ 25.04

लाख वसूल किए जिनमें से ₹ 8.19 लाख से आवेष्टित 11 मामलों में वसूली वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में की गई थी।

₹ 604.67 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 राज्य में राजस्व के बकायों को संग्रहण करने के लिए प्रणाली

2.2.1 प्रस्तावना

अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य कुल बकाया 112 प्रतिशत बढ़कर ₹ 8,076.66 करोड़ हो गए। ₹ 382.88 करोड़ के बकाया, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय घोषित नहीं किए गए जबकि ₹ 207.26 करोड़ के बकाया, कुर्क संपत्ति का निपटान न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। आगे, ₹ 166.56 करोड़ के बकाया अनुवर्ती कर्वाई आरंभ न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 26.44 करोड़ का व्याज उद्गृहीत नहीं किया गया।

विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, उनसे संबंधित देयों की वसूली के लिए सरकारी विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इन अधिनियमों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं समय-समय पर जारी विभिन्न निर्देशों के अंतर्गत देय कोई राशि जो भुगतान के लिए निर्विर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद भुगतान न की गई हो तो चूककर्ता की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगी। ये देय पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (पी.एल.आर. अधिनियम) /राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (आर.आर. अधिनियम) जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है, के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में चूककर्ता से वसूलनीय है। राजस्व प्राधिकारी, राजस्व वसूली सर्टिफिकेट (आर.आर.सी.) जारी करता है तथा देयों की वसूली के लिए, यदि आवश्यक हो, तो संपत्ति/परिसंपत्ति की कुर्की तथा व्यापारी को कारावास दिलाना जैसे कानूनी कदम उठा सकता है। शीर्ष “0055-पुलिस” के अंतर्गत पुलिस विभाग में राजस्व के बकायों का संग्रहण पंजाब वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा।

राजस्व के बकायों के संग्रहण की प्रणाली की कारगरता मूल्यांकित करने हेतु राज्य में 21 जिलों में से सात¹ में चार विभागों² (सात लेखा शीर्ष) के कार्यालयों के वर्ष 2012-13 से 2014-15 के अभिलेखों की नमूना-जांच जनवरी और मई 2016 के मध्य की गई।

¹ हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 की धारा 26, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 की धारा 17, पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.जी.टी.) अधिनियम, 1952 की धारा 12, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 25, पंजाब उत्पाद अधिनियम, 1914 की धारा 60 तथा पंजाब विद्युत (शुल्क) (पी.इ.डी.) अधिनियम, 1958 की धारा 9.

² अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल, रोहतक तथा सोनीपत।

³ मुख्य इलैक्ट्रीकल इंस्पैक्टर, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, पुलिस, आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा यात्री एवं माल कर)।

2.2.2 बकायों का प्रवाह/विश्लेषण

वसूली की धीमी प्रगति

2012 - 13 से 2014 - 15 तक की अवधि के लिए, वर्ष के आरंभ में बकायों, वर्ष के दौरान वृद्धियों, की गई वसूलियों/अन्य समायोजनों, तीन वर्ष से अधिक पुराने बकायों तथा वर्ष की समाप्ति पर बकायों की स्थिति नीचे तालिका 2.2.2 में वर्णित अनुसार थी।

तालिका 2.2.2: विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत बकायों की वसूली की स्थिति

(₹ करोड़ में)									
लेखाशीर्ष	वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान जोड़े गए बकाया	कुल	वर्ष के दौरान डिमांड/बकायों का संग्रहण तथा विलोपन	वर्ष के अंत में बकाया	तीन वर्षों से अधिक पुराने बकाया	कुल बकायों से बकायों के संग्रहण की प्रतिशतता कालम 6 से 7
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0039-राज्य उत्पाद शुल्क	2012-13	3,236.48	129.21	11.09	140.30	3.66	136.64	54.71	2.61
	2013-14	3,697.35	136.64	41.87	178.51	5.07	173.44	80.93	2.84
	2014-15	3,470.45	173.44	39.77	213.21	6.40	206.81	95.91	3.00
0040-विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	2012-13	15,376.58	3,405.08	1,203.74	4,608.82	709.64	3,899.18	2,371.32	15.40
	2013-14	16,774.33	3,899.18	4,000.29	7,899.47	1,977.37	5,922.10	3,143.78	25.03
	2014-15	18,993.25	5,922.10	3,963.96	9,886.06	2,443.02	7,443.04	2,593.70	24.71
0042-भाल एवं यात्रियों पर कर	2012-13	470.76	92.20	110.66	202.86	109.03	93.83	46.07	53.75
	2013-14	497.45	93.83	122.85	216.68	114.81	101.87	48.05	52.99
	2014-15	527.07	101.87	155.10	256.97	132.94	124.03	46.99	51.73
0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क	2012-13	191.96	129.39	172.61	302.00	163.32	138.68	129.39	54.08
	2013-14	219.20	138.68	201.33	340.01	190.15	149.86	138.68	55.92
	2014-15	239.74	149.86	217.25	367.11	207.75	159.36	149.86	56.59
0045-उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	2012-13	56.70	14.13	0.00	14.13	0.00	14.13	13.28	0.00
	2013-14	68.51	14.13	0.00	14.13	6.21	7.92	7.07	43.95
	2014-15	88.58	7.92	3.35	11.27	0.52	10.75	7.40	4.61
0055-पुलिस	2012-13	63.73	13.72	6.13	19.85	6.94	12.91	8.11	34.96
	2013-14	80.38	12.91	93.62	106.53	0.00	106.53	8.11	0.00
	2014-15	67.82	106.53	1.36	107.89	0.00	107.89	8.19	0.00
0853-अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2012-13	75.49	26.14	0.16	26.30	0.89	25.41	17.12	3.38
	2013-14	79.10	25.41	0.19	25.60	0.92	24.68	19.34	3.59
	2014-15	43.46	24.68	0.18	24.86	0.08	24.78	21.40	0.32
योग	2012-13	19,471.70	3,809.87	1,504.39	5,314.26	993.48	4,320.78	2,640.00	
	2013-14	21,416.32	4,320.78	4,460.15	8,780.93	2,294.53	6,486.40	3,445.96	
	2014-15	23,430.37	6,486.40	4,380.97	10,867.37	2,790.71	8,076.66	2,923.45	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वसूली की गति धीमी थी जिसके परिणामस्वरूप बकाया बढ़ गए। पांच लेखाशीर्षों⁴ के अंतर्गत कुल बकायों से वसूली की प्रतिशतता 0.32 तथा 43.95 प्रतिशत के मध्य थी जबकि शीर्ष 0042 - माल एवं यात्रियों पर कर तथा 0043 - विद्युत पर कर एवं शुल्क के अंतर्गत वसूली 50 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2012 - 13 के लिए शीर्ष 0045 - उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क के अंतर्गत तथा शीर्ष 0055 - पुलिस के अंतर्गत वर्ष 2013 - 14 एवं 2014 - 15 के लिए वसूली स्थिति की प्रतिशतता शून्य थी। कुल बकाया, अप्रैल 2012 में ₹ 3,809.87 करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 में ₹ 8,076.66 करोड़ (112 प्रतिशत) हो गए हैं जिनमें से ₹ 2,923.45 करोड़ (36.20 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी एवं मई 2016), 11 उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सी.) / खनन अधिकारियों (एम.ओ.)⁵ ने सूचित किया कि धीमी वसूलियां स्टाफ की कमी, चूककर्त्ताओं के गलत पते, चूककर्त्ताओं की मृत्यु तथा बहुत पुराने वसूली के मामलों के कारण थी।

2.2.3 पंजाब भू - राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय बकायों की घोषणा न करना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 26 प्रावधान करती है कि राशियां जो भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद अभुगतान रहती हैं तो चूककर्त्ता की संपत्ति पर पहला प्रभार होगी तथा पंजाब भू - राजस्व (पी.एल.आर.) अधिनियम के अंतर्गत भू - राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय होगी।

आबकारी एवं कराधान विभाग के 20 कार्यालयों⁶ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि कर - निर्धारण प्राधिकारियों (ए.ए.) ने ₹ 223.16 करोड़⁷ की मांग प्रस्तुत की तथा खान एवं भू - विज्ञान विभाग के पांच खनन अधिकारियों⁸ ने 2012 तथा 2015 के मध्य ₹ 1.20 करोड़ की मांग प्रस्तुत की। यद्यपि इन करदाताओं ने देय राशि विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा नहीं करवाई थी, कर - निर्धारण प्राधिकारी / खनन अधिकारी, वसूलनीय बकायों को, पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत भू - राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित करने में विफल रहे। इसी प्रकार, चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पैक्टर, हरियाणा भी 31 मार्च 2015 को ₹ 158.52 करोड़ के बकायों को पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत घोषित करने में विफल रहे।

⁴ 0039 - राज्य उत्पाद शुल्क, 0040 - बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर, 0045 - मनोरंजन कर, 0055 - पुलिस तथा 0853 - खनन।

⁵ डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क), अंबाला, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), भिवानी, गुडगांव, रोहतक, सोनीपत तथा खनन अधिकारी अंबाला, फरीदाबाद तथा गुडगांव।

⁶ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क), अंबाला, भिवानी, गुडगांव, करनाल, रोहतक तथा सोनीपत।

⁷ बिक्री कर (₹ 102.72 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 67.15 करोड़) तथा यात्री एवं माल कर (₹ 53.29 करोड़)।

⁸ खनन अधिकारी भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल तथा रोहतक।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी./पी.जी.टी.) अंबाला ने इन मामलों का प्रभावकारी ढंग से अनुसरण करने का आश्वासन दिया (मार्च 2016)। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल, फरीदाबाद (पश्चिम), डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.)/उत्पाद शुल्क), खनन अधिकारियों⁹ ने सूचित किया (जनवरी से मार्च 2016) कि ₹ 176.11 करोड़ के लंबित बकायों को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पैक्टर, हरियाणा ने बताया (जून 2016) कि बकाया, बुक समायोजन के रूप में समायोजित किए जाने थे तथा पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत नहीं। विभाग का उत्तर सही नहीं था क्योंकि बकाया, पंजाब विद्युत (शुल्क) (पी.ई.डी.) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किए जाने थे। शेष आठ कार्यालयों से ₹ 48.25 करोड़ की देय राशि के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 2016)।

2.2.4 कुर्क की गई संपत्ति का निपटान न करना

पी.एल.आर. अधिनियम की धारा 67 चूककर्त्ताओं की कुर्क की गई संपत्ति के निपटान का प्रावधान करती है:

तीन विभागों¹⁰ में सात कार्यालयों¹¹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 31 मामलों में मार्च 2015 तक ₹ 207.26 करोड़ के बकाया वसूली के लिए देय थे। नोटिस जारी करने के बाद, जुलाई 1992 तथा अगस्त 2015 के मध्य बकाया, भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित कर दिए गए तथा 29 मामलों में चूककर्त्ताओं की संपत्ति जुलाई 1992 तथा जून 2015 के मध्य कुर्क कर ली गई। चार मामलों में व्यापारी, संपत्ति की कुकी के बाद परिसमापन में चले गए जबकि छः मामलों में संपत्ति का भौतिक स्वामित्व पंजाब नेशनल बैंक के पास था। चार मामलों में नीलामी के लिए ई.टी.सी. कार्यालय से अनुमति ली जा रही थी जबकि शेष मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। दो मामलों में, चूककर्त्ताओं की संपत्ति कुर्क नहीं की गई क्योंकि कथित संपत्ति पहले से ही अन्य वित्तीय संस्था द्वारा कुर्क की हुई थी। इस प्रकार, कुर्क संपत्ति की नीलामी में एक वर्ष और 24 वर्षों के मध्य विलंब तथा कुर्क करने/कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी करने में समयपूर्व कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप ₹ 207.26 करोड़ के बकाया संचित हो गए।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क) रोहतक ने बताया (जून 2016) कि कुर्क संपत्ति की नीलामी करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा से अनुमति ली जा रही थी। खनन अधिकारी, सोनीपत ने बताया (मार्च 2016) कि कुर्क संपत्ति नीलाम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। शेष कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्तूबर 2016)।

⁹ डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क) अंबाला, गुडगांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत तथा खनन अधिकारी भिवानी, फरीदाबाद तथा गुडगांव।

¹⁰ बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं खनन।

¹¹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) भिवानी, फरीदाबाद, (पश्चिम), करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (उत्पाद शुल्क), रोहतक तथा खनन अधिकारी, सोनीपत।

2.2.5 नकली फार्मों के विरुद्ध मांग का विलापन

हरियाणा सरकार द्वारा 14 मार्च 2006 तथा 16 जुलाई 2013 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य के भीतर तथा अन्तर्राज्य रूप से अधिक के लेन-देन, व्यापारी को कर/रियायत का लाभ अनुमत करने से पूर्व सत्यापित किए जाने चाहिए। आगे, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी. अधिनियम) की धारा 5 (3), 6 ए तथा 8 (4) घोषणा फार्मों क्रमशः एच., एफ., ई-1 तथा सी के विरुद्ध की गई बिक्रियों पर कर की शून्य/रियायती दर लगाने का प्रावधान करती है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, कर भुगतान से बचने के लिए गलत लेखे/सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पेनल्टी उद्ग्राहय है। घोषणा फार्मों के विरुद्ध रियायत का लाभ केवल फार्मों की मूल प्रति के विरुद्ध अनुमत्य है।

बिक्री कर के चार कार्यालयों¹² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने 10 डीलरों के कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के लिए कर-निर्धारण (रैकटीफिकेशन) नवंबर 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य अंतिमकरण किए गए तथा फार्म 'एफ' तथा 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर ₹ 23.93 करोड़ की कन्साइनमेंट सेल/इंटर-स्टेट सेल का लाभ अनुमत कर दिया तथा ₹ 1.86 करोड़ के बकाया को समाप्त कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा कर सूचना विनिमय प्रणाली (टिनएक्साएसवार्डएस)/संबंधित प्राधिकारियों से जांच पर, कथित फार्म सही नहीं पाए गए। ऐसे झूठी घोषणाओं के विरुद्ध कन्साइनमेंट सेल/कर की रियायती दर का लाभ अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ के बकायों का विलापन हुआ। इसके अतिरिक्त, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत ₹ 5.57 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राहय थी।

2.2.6 बकायों का अनियमित विलोपन/छिपाव

जब कभी कोई वसूली की जाती है बकायों की राशि कम की जाती है। आगे, वाछित घोषणा पत्रों इत्यादि के प्रस्तुतिकरण के कारण यदि कोई मांग कम की जाती है, अतिरिक्त देय मांग उस सीमा तक समाप्त की जाती है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत तथा गुडगांव (पूर्व) के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 125 मामलों में कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2007-08 तथा 2013-14 के लिए अगस्त 2012 तथा मार्च 2015 के मध्य कर-निर्धारण का अंतिमकरण किया तथा ₹ 174.88 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की तथा बाद में बकायों के विलोपन हेतु कारण रिकार्ड किए बिना बकायों की सूची से कथित मांग विलुप्त कर दी। बकायों की मांग न तो वसूल/अन्य वार्डस को अंतरित की हुई दर्शाई गई और न ही वसूली की सूची में मांग विलोपित की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 174.88 करोड़ के बकायों का अनियमित विलोपन/छिपाव हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 2016)।

¹²

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व) तथा रोहतक।

2.2.7 अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफलता

व्यापारी द्वारा देय तिथि के बाद भुगतान न किए गए कर, व्याज तथा पेनल्टी की राशि पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित की जानी होती है तथा आर.आर. अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार आर.आर.सी. जारी करके वसूल की जानी होती है। विभाग के बकायों की वसूली के लिए पी.एल.आर. अधिनियम, 1887 की धारा 68, 69 तथा 70 के अंतर्गत डी.ई.टी.सी. के पास कलैक्टर के अधिकार हैं। जब कर-निर्धारण प्राधिकारी, चूककर्ता से, उसके व्यापार के बंद होने तथा राज्य के अंदर या बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण के कारण देयों को वसूल करने में असमर्थ रहता है तो डी.ई.टी.सी. (कलैक्टर) द्वारा भू-राजस्व के रूप में देयों की वसूली के लिए राज्य के अंदर या राज्य से बाहर संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी.-सह-कलैक्टर/राजस्व प्राधिकारी {उपायुक्त (डी.सी.)} को आर.आर.सी. भेजी जानी अपेक्षित है।

चार विभागों¹³ में 21 कार्यालयों¹⁴ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ए.ए.ज./एम.ओ.ज ने ₹ 72.33 करोड़ के बकाया (₹ 62.07 करोड़ अन्तर्राज्य बकाया तथा ₹ 10.26 करोड़ अन्तर्राजिला बकाया) भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली हेतु घोषित किए तथा दिसंबर 2007 एवं मार्च 2016 के मध्य आर.आर.सी. जारी किए। ए.ए.ज./एम.ओ.ज द्वारा संबंधित राजस्व अधिकारियों के साथ आर.सी. प्रभावकारी ढंग से अनुसरित किए जाने अपेक्षित थे। तथापि, बकायों को वसूल करने के लिए कोई अनुवर्तन कार्रवाई नहीं की गई थी।

आगे तीन विभागों¹⁵ के 20 कार्यालयों में ₹ 94.23 करोड़¹⁶ के भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु बकाया उसी जिले के अंदर बकाया थे। इसमें से, ₹ 84.28 करोड़ आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित हैं। देयों की वसूली के लिए डी.ई.टी.सी. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी.ज (एस.टी./आबकारी/पी.जी.टी.) तथा एम.ओ.ज¹⁷ ने जनवरी तथा मई 2016 के मध्य सूचित किया कि सरकारी देयों को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। शेष छः कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

¹³ बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर तथा खनन।

¹⁴ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल, रोहतक, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) रोहतक एवं खनन अधिकारी, अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल तथा सोनीपत।

¹⁵ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), डी.ई.टी.सी. (राज्य उत्पाद शुल्क) तथा खनन।

¹⁶ बिक्री कर (₹ 58.35 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 25.93 करोड़) तथा खनन (₹ 9.95 करोड़)।

¹⁷ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.), रोहतक, डी.ई.टी.सी. (आबकारी), अंबाला, फरीदाबाद, गुडगांव, करनाल, रोहतक तथा खनन अधिकारी, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव तथा सोनीपत।

2.2.8 ब्याज का अनुदग्धण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 23 (1) ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करती है, यदि मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि, नोटिस जारी करने के पश्चात् तीस दिनों के अंदर जमा नहीं करवाई जाती।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के तीन कार्यालयों¹⁸ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन मामलों में वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए ₹ 124.78 करोड़ की अतिरिक्त मांग सितंबर 2010 तथा मार्च 2015 के मध्य सृजित की गई। एएज ने वसूली के लिए नोटिस जारी किए तथा बकायों को, पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय घोषित किया। इतने में, करदाता परिसमापन में चले गए। परिसमापक अधिकारी के पास दावा अग्रेषित करते समय (सितंबर 2014 तथा मई 2016 के मध्य) एएज ने ₹ 23.51 करोड़ के ब्याज की राशि शामिल करने में विफल रहे तथा ₹ 0.07 करोड़ के कम दावे प्रस्तुत किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.58 करोड़ का दावा कम प्रस्तुत हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पश्चिम) तथा रोहतक ने बताया (मार्च तथा जुलाई 2016) कि ₹ 19.20 करोड़ के ब्याज की मांग परिसमापक अधिकारी को भेज दी गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुडगांव से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 2016)।

(ii) छ: कार्यालयों¹⁹ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 96 मामलों में डीलरों ने 33 दिनों से 10 वर्षों के मध्य देरी के साथ ₹ 14.38 करोड़ की मांग जमा करवा दी थी परंतु न तो डीलरों ने ब्याज जमा करवाया और न ही एए. ने मांग प्रस्तुत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.86 करोड़ के ब्याज का अनुदग्धण/अवसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक ने बताया (अगस्त 2016) कि एक मामले में ₹ 3.28 लाख की मांग सृजित की गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला ने बताया (अगस्त 2016) कि वसूली का नोटिस डीलर को जारी कर दिया गया था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुडगांव ने बताया (अगस्त 2016) कि चार मामलों में कार्यवाही करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम) करनाल तथा सोनीपत्त से ₹ 77.30 लाख के बकाया ब्याज के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्तूबर 2016)।

2.2.9 बकायों के गलत आंकड़े

किसी परवर्ती वर्ष के दौरान वसूली के कारण जब बकाया कम किए जा सकते हैं, तो पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित पुराने बकायों में वृद्धि नहीं हो सकती। चार कार्यालयों²⁰ के पुराने बकायों की विवरणी से वर्ष 2011-12 से 2014-15 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया

¹⁸ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव तथा रोहतक।

¹⁹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व), करनाल, रोहतक तथा सोनीपत्त।

²⁰ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), भिवानी, फरीदाबाद (पश्चिम), रोहतक तथा सोनीपत्त।

कि वर्ष 2002-03 से 2013-14 के पुराने बकायों के वर्षवार और ₹ 58.30 करोड़ से

₹ 199.48 करोड़ तक बढ़कर मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 257.78 करोड़ हो गए। इस प्रकार बकायों के आंकड़े प्रामाणिक नहीं थे।

अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

2.2.10 अभिलेखों का न रखना/अप्रस्तुतिकरण

ईटी.सी. द्वारा 27 दिसंबर 2005 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मामले में, जैसे ही मांग बकाया में जाती है, एक पृथक वसूली फाईल बनाई जानी चाहिए। वसूली कार्रवाई, वसूली फाईल में रिकार्ड की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 636.69 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 1,552 वसूली फाईलों की मांग की थी जिनमें से ₹ 480.77 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 1,115 फाईलें प्रस्तुत की गईं। ₹ 155.92 करोड़ के बकायों से आवेष्टित शेष 437 फाईलें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गईं।

कर-निर्धारण फाईलों/बकायों की सूची की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 102.72 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 334 मामलों में पृथक वसूली फाईलें नहीं बनाई गई थीं। आगे, 334 मामलों में से, ₹ 61.51 करोड़ के बकायों से आवेष्टित 149 मामलों में डिमांड नोटिस (वैट एन-4) जारी नहीं किए पाए गए। इसी प्रकार, राज्य उत्पाद शुल्क, यात्री एवं माल कर तथा खनन विभागों के दस कार्यालयों²¹ में वसूली फाईलें भी नहीं बनाई गई थीं। रिकवरी फाईलों/अभिलेखों के रख-रखाव की इस घटिया स्थिति ने राजस्व बकायों की वसूली प्रभावी ढंग से मानीटर तथा अनुसरण में विभागों की योग्यता का अवमूल्यांकन किया।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुडगांव (पश्चिम) ने बताया (मई 2016) कि नोटिस वैट एन-4 जारी किए जाएंगे, रिकवरी फाईलें बनाई जाएंगी तथा पुराने बकायों को वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी. तथा आबकारी) एवं एम.ओ.ज ने बताया (फरवरी तथा मई 2016) कि कोई पृथक रिकवरी फाईलें नहीं बनाई गई थीं।

2.2.11 निष्कर्ष

इस प्रकार, राजस्व के बकायों के अपर्याप्त अनुसरण के परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 में ₹ 3,809.87 करोड़ से मार्च 2015 में ₹ 8,076.66 करोड़ तक 112 प्रतिशत तक बकायों की वृद्धि हो गई। कर-निर्धारण प्राधिकारी एवं राजस्व वसूली अधिकारी, अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रहे तथा ₹ 382.88 करोड़ के बकाया पी.एल.आर. अधिनियम के अंतर्गत वसूलनीय घोषित नहीं किए गए जबकि कुर्क की गई प्रोपर्टी का निपटान न करने के कारण ₹ 207.26 करोड़ वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 1.86 करोड़ की मांग नकली रियायती फार्मों के विरुद्ध कम कर दी गई

²¹ डी.ई.टी. (आबकारी) फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) अंबाला, गुडगांव, रोहतक, सोनीपत तथा खनन अधिकारी, अंबाला, भिवानी तथा गुडगांव।

तथा वहां ₹ 174.88 करोड़ के बकायों का छिपाव हुआ। ₹ 166.56 करोड़ के बकाया, अनुवर्ती कार्रवाई न करने के कारण वसूल नहीं किए जा सके। ₹ 26.37 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। वसूली फाइलों के सही न बनाने से वसूली प्रयास तथा उनकी प्रभावी मानीटरिंग अवमूल्यांकित हुई।

उपर्युक्त उपलब्धियां सरकार को जून 2016 में प्रतिवेदित की गई थीं; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

2.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति

विक्रेता डीलर द्वारा किए गए कर के भुगतान का सत्यापन किए बिना कर-निर्धारण प्राधिकारी ने गलती से ₹ 96.39 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त ₹ 2.89 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राहय है।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार, एक वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में इनपुट टैक्स, उसको ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान की गई कर की राशि होगी। ई.टी.सी. हरियाणा ने, कर के वास्तविक भुगतान की स्थिति तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सत्यापन अनिवार्य करते हुए जुलाई 2013 में निर्देश जारी किए। आगे, अधिनियम की धारा 38, दस्तावेजों, गलत सूचना तथा गलत लेखाओं के आधार पर दावों के लिए दंडिक कार्रवाई (बचाया गया टैक्स/दावा किया गया लाभ तथा तीन गुणा पेनल्टी) के लिए प्रावधान करती है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) डी.ई.टी.सी. { (एस.टी.) } पंचकूला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए संवीक्षा स्कीम के अंतर्गत एक डीलर का कर-निर्धारण किया गया (मार्च 2015)। डीलर ने, कुरुक्षेत्र जिले के एक डीलर से 13.125 प्रतिशत की दर पर ₹ 7.34 करोड़ मूल्य के क्रय दर्शाए थे तथा ₹ 96.39 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के लाभ का दावा किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी (ए.ए.) ने विक्रेता डीलर द्वारा किए गए कर भुगतान का सत्यापन किए बिना ₹ 96.39 लाख के आई.टी.सी. का लाभ अनुमत कर दिया। लेखापरीक्षा द्वारा जांच करने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कुरुक्षेत्र ने सूचित किया कि 2011-12 के दौरान विक्रेता डीलर ने पंचकूला डीलर को बिक्री नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 96.39 लाख के आई.टी.सी. की गलत अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त ₹ 2.89 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राहय थी।

यह झंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला ने उत्तर दिया (फरवरी 2016) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

2.4 सरचार्ज का अनुदग्धण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने वैट के अंतर्गत ₹ 38.16 करोड़ के कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्गृहीत नहीं किया परिणामस्वरूप 61 मामलों में ₹ 1.91 करोड़ के सरचार्ज का अनुदग्धण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अनुसार, 2 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त कर उद्ग्राहय था। हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट किया था (10 फरवरी, 2014) कि निर्माण ठेकेदार, जिन्होंने कर की एवज में एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया है, तत्रैव, अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत सरचार्ज की देयता निभाने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के छ: कार्यालयों²² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (नवंबर 2014 एवं जून 2015) ने प्रकट किया कि ए.एज ने, वर्ष 2010-11 से 2011-12 के लिए 61 मामलों में कर-निर्धारण अंतिम करते समय (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य) ₹ 941.64 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर पर चार/पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 38.16 करोड़ का कर परिकलित किया परंतु ₹ 38.16 करोड़ की कर राशि की पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर उद्गृहीत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)²³ ने बताया (अगस्त 2015 से जुलाई 2016 के मध्य) कि 32 मामलों में ₹ 0.72 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। डी.ई.टी.सी. सिरसा ने बताया (जुलाई 2016) कि ₹ 1.49 करोड़ की अतिरिक्त मांग एक मामले में सृजित की गई थी लेकिन डीलर ने इस आदेश के विरुद्ध, माननीय हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की। डी.ई.टी.सी., जगाधरी तथा पलवल ने बताया कि 10 मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिए गए थे। एक मामले में, ए.ए. फरीदाबाद (पश्चिम) ने जनवरी 2016 में बताया कि डीलर ने नगर निगम (एम.सी.) फरीदाबाद का काट्रेक्ट कार्य किया था तथा एम.सी. कार्यालय द्वारा सरचार्ज की कटौती नहीं की गई। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ए.एज द्वारा, मामले का कर-निर्धारण करते समय सरचार्ज उद्गृहीत किया जाना अपेक्षित था। ए.ए. रेवाड़ी ने मार्च 2016 में बताया कि सभी 17 मामलों में, आदेशों में सुधार कर दिया गया है तथा कर तदनुसार उद्गृहीत किए गए हैं। वसूली की आगे प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

²² फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व), पलवल, रेवाड़ी, सिरसा तथा जगाधरी।

²³ फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पूर्व) तथा जगाधरी।

2.5 परिगणना त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 4.53 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 2.74 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप परिगणना त्रुटि के कारण ₹ 1.79 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, कोई कर लगाने वाले प्राधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, किसी मामले में, उसके द्वारा पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय, प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले के अभिलेखों से स्पष्ट लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधार सकता है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फरीदाबाद (पश्चिम), पंचकूला एवं रोहतक के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संबीक्षा (दिसंबर 2014 तथा अगस्त 2015) ने प्रकट किया कि तीन डीलरों ने 2011-12 के दौरान ₹ 74.97 करोड़ मूल्य की बिक्री की थी। ए.ए.जे. ने, नवंबर 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 4.53 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 2.74 करोड़ का कर उद्गृहीत किया परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद ने जनवरी 2016 में बताया कि त्रुटि सुधार दी गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रोहतक ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 2.65 करोड़ का कर वसूल करने के लिए पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 72 के अंतर्गत वारंट जारी करके करदाता की फैक्टरी भूमि कुर्क कर ली गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला ने जुलाई 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था। आगे वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

2.6 गलत वर्गीकरण के कारण कर का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों का अनुपालन न करने तथा कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.49 करोड़ के कर तथा ₹ 88.58 लाख के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अंतर्गत माल के वर्गीकरण के आधार पर अधिनियम की 'ए' से 'जी' तक की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्राहय है। उपर्युक्त अनुसूचियों में वर्गीकृत न की गई मदों पर, 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर कर उद्ग्राहय है। आगे, 02 अप्रैल 2010 से कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राहय था। इसके अतिरिक्त, कर के भुगतान में चूक के मामले में, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय था।

2.6.1 सरकार ने 25 मार्च 2013 को स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के टैक्सटाइल्ज, जिन पर मूल्य बढ़ाने वाला कार्य जैसे बुनाई, कढ़ाई किया गया है, 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर अवर्गीकृत माल के रूप में उद्ग्राहय था तथा 02 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राहय था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) झज्जर तथा गुडगांव के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर तथा नवंबर 2015) ने प्रकट किया कि दो डीलरों ने 2012 - 13 के दौरान ₹ 7.55 करोड़ के कढ़ाई किए गए फैबरिक्स बेचे तथा माल का करमुक्त के रूप में दावा किया। ए.एज ने अक्तूबर तथा नवंबर 2014 के मध्य कर - निर्धारण अंतिम करते समय, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत इसे करमुक्त माल के रूप में मानते हुए कटौतियां अनुमत कर दी। तथापि, कढ़ाई किए गए फैबरिक्स, किसी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण 12.5 प्रतिशत तथा सरचार्ज की दर पर करयोग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप,

₹ 99.15 लाख की राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 39.54 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुडगांव (पूर्व) ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 89.05 लाख की मांग सृजित की गई थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), झज्जर ने जुलाई 2016 में बताया कि जुलाई 2004 की अधिसूचना के अंतर्गत टैक्सटाइल एवं टैक्सटाइल वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए.ई.डी.) की छूट के पश्चात् कढ़ाई किए गए फैबरिक एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची बी की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत होने के कारण करमुक्त था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि टैक्सटाइल पर ए.ई.डी. अप्रैल 2011 में समाप्त कर दी गई थी तथा यहां उल्लिखित कढ़ाई किया गया फैबरिक वर्ष 2012 - 13 से संबंधित है जो मार्च 2013 में स्पष्टीकरण के अनुसार करयोग्य था।

2.6.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) झज्जर (बहादुरगढ़) के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (नवंबर 2014) कि एक डीलर ने वर्ष 2011 - 12 के दौरान ₹ 96.61 लाख मूल्य की मिट्टी (सोयल) आपूर्ति की तथा करमुक्त विक्रियों का दावा किया। ए.ए. ने, नवंबर 2013 में कर - निर्धारण अंतिम करते समय मिट्टी (सोयल) होने के कारण अवर्गीकृत मद के संबंध में यथा लागू 13.125 प्रतिशत की दर पर कर लगाने के बजाय इसे अनुमत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 12.68 लाख की राशि के कर एवं सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.59 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था। यह इंगित किए जाने पर, ई.टी.ओ. (झज्जर) (बहादुरगढ़) ने जुलाई 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण अधीन था (अक्तूबर 2016)।

2.6.3 सरकार ने 23 जून 2014 को स्पष्ट किया कि पनीर अवर्गीकृत मद है तथा 12.5 प्रतिशत कर की सामान्य दर पर अवर्गीकृत माल के रूप में वैट तथा 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्राहय कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज हेतु दायी था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद तथा पंचकूला के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया (अगस्त तथा अक्तूबर 2015) कि दो डीलरों ने वर्ष 2010 - 11 से 2012 - 13 के दौरान ₹ 6.79 करोड़ मूल्य का पनीर विक्रय किया तथा पांच प्रतिशत जमा सरचार्ज की दर पर कर भुगतान किया। ए.एज ने भी मार्च 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य कर - निर्धारण अंतिम करते समय, सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार 12.5 प्रतिशत की सही दर पर जमा सरचार्ज के बजाय पांच प्रतिशत की

वर्ष 2015 - 16 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

दर पर कर एवं सरचार्ज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 53.44 लाख की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 35.36 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद ने मार्च 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। ई.टी.ओ. (पंचकूला) ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 44.50 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.6.4 सरकार ने 18 जुलाई 2013 को स्पष्ट किया कि माल प्रयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण करयोग्य इवेंट है तथा माल प्रयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर लागू दर, ऐसे माल की बिक्री पर लागू दर है। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला (सितंबर 2015) के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान ₹ 1.87 करोड़ मूल्य के वाहन पट्टे पर दिए थे तथा पांच प्रतिशत की दर पर एवं सरचार्ज का भुगतान किया। ए.ए. ने सितंबर 2013 तथा अगस्त 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, 12.5 प्रतिशत कर एवं सरचार्ज की सही दर की बजाय पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.70 लाख की राशि के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 6.89 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था। यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. पंचकूला ने जलाई 2016 में बताया कि मामले डी.ई.टी.सी. (निरीक्षण) अंबाला को स्वतः कार्यवाही हेतु भेज दिए गए थे।

2.6.5 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया (मई 2014) कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 8.72 करोड़ मूल्य के औद्योगिक फिल्टरज/मशीनरी पार्ट्स बेचे तथा चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज परिगणित किया। ए.ए.ज. ने भी, नवम्बर 2013 में कर-निर्धारण अन्तिम करते समय, अवर्गीकृत मद के संबंध में यथा लागू 12.5 प्रतिशत कर एवं सरचार्ज की सही दर की बजाय चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर एवं सरचार्ज उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 68.86 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत ने जनवरी 2016 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया था।

उपर्युक्त मामले सरकार को अप्रैल/मई 2016 में प्रतिवेदित किए गए थे; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2016)।

2.7 विशेष आर्थिक जोन यूनिटों को बिक्री की गलत कटौती के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर, जिसने एक डेवल्पर को सामग्री बेची थी, को विशेष आर्थिक जोन बिक्री के विचार से ₹ 2.76 करोड़ की कटौती अनुमत कर दी परिणामतः ₹ 36.26 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 30.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

सरकार ने 12 फरवरी 2013 को स्पष्ट किया कि एक विशेष आर्थिक जोन (सैज) के डेवल्पर/सह-डेवल्पर को बिक्री कर के उद्ग्रहण से छूट नहीं है, सैज एरिया में एक यूनिट स्थापित करने पर केवल व्यक्तिगत डीलर को छूट है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला के कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 2.76 करोड़ मूल्य के तैयार मिक्स कंक्रीट एक डेवलपर को बेचे। ए.ए. ने, मार्च 2015 में डीलर का कर-निर्धारण अंतिम करते समय, सैज सेल के विचार से ₹ 2.76 करोड़ की कटौती अनुमत कर दी। सैज यूनिट को सेल की कटौती, डीलर, जिसने डेवलपर को सामग्री बेची थी, को गलती के अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 36.26 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 30.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

यह इंगित किए जाने पर, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, पंचकूला ने बताया (जुलाई 2016) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को भेजा गया था जिसने ₹ 38.03 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की (अप्रैल 2016)। तथापि, डीलर ने माननीय हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दर्ज की थी (मई 2016) जो लंबित थी (अक्तूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

2.8 बिक्रियों के छिपाव के कारण कर का अपवंचन

उप - आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुडगांव (पश्चिम) के एक डीलर ने ₹ 1.12 करोड़ मूल्य की बिक्रियां छिपाई और 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 14.05 लाख के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, ₹ 42.15 लाख की अनिवार्य पेनलटी भी बिक्रियों के छिपाव पर उद्ग्राहय थी।

ए.च.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने बिक्रियों, क्रयों राज्य में आयातों या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जिसमें किसी सामग्री के विवरण झूठे या गलत हैं, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाता है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनलटी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

डी.ई.टी.सी. (पूर्व), गुडगांव के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्तूबर 2014) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने डी.ई.टी.सी. (पश्चिम) में पंजीकृत एक डीलर से ₹ 1.12 करोड़ मूल्य के बजारी, ईंटें एवं रेत खरीदा तथा 2009-10 में उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। परंतु डी.ई.टी.सी. (पश्चिम) के अंतर्गत विक्रेता डीलर ने उस अवधि के लिए शून्य रिटर्नज फाईल की थी तथा अपनी बिक्रियों में ये माल शामिल नहीं किया था। इस प्रकार, डी.ई.टी.सी. गुडगांव (पश्चिम) के डीलर ने ₹ 1.12 करोड़ मूल्य की बिक्रियां छिपाई थीं तथा 12.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 14.05 लाख का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, ₹ 42.15 लाख की अनिवार्य पेनलटी भी बिक्रियों के छिपाव पर उद्ग्राहय थी।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. गुडगांव (पश्चिम) ने जुलाई 2016 में बताया कि मामले में पुनः कर-निर्धारण किया गया था तथा ₹ 57.62 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा डीलर ने पुनः कर-निर्धारण के विरुद्ध संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (अपील), फरीदाबाद के समक्ष अपील फाईल की थी।

मामला सरकार को मई 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

2.9 ब्याज का अनुदग्धण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने दो मामलों में ₹ 53.91 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु ₹ 45.28 लाख का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम का सैक्षण 14 (6) निर्धारित करता है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो यदि भुगतान नब्बे दिनों के अंदर किया जाता है तो एक प्रतिशत प्रति माह की दर पर, तथा चूक नब्बे दिनों के बाद जारी रहती है तो समस्त अवधि के लिए, कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम अवधि से उसके भुगतान करने की तिथि तक दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला तथा कुरुक्षेत्र के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई तथा सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि ए.ए.जे. ने दो मामलों में मार्च 2015 में वर्ष 2011-12 के लिए कर-निर्धारण अंतिम किए तथा ₹ 53.91 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु रिटर्न के साथ कर का भुगतान न करने पर ब्याज उद्गृहीत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक परिणित ₹ 45.28 लाख (₹ 33.85 लाख + ₹ 11.43 लाख) के ब्याज का अनुदग्धण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला ने बताया (जुलाई 2016) कि ₹ 47.54 लाख²⁴ का ब्याज उद्गृहीत कर लिया गया है परंतु डीलर ने जे.ई.टी.सी. (ए) अंबाला के समक्ष इस आदेश के विरुद्ध अपील फाईल की थी। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), कुरुक्षेत्र ने जुलाई 2016 में बताया कि ₹ 13.07 लाख का ब्याज उद्गृहीत कर लिया गया है। आगे वसूली की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2016)।

मामला सरकार को अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

²⁴ ए.ए. पंचकूला ने ₹ 49.01 लाख (01-04-2012 से 31-12-2015) के देय कर पर ₹ 47.54 लाख का ब्याज उद्गृहीत किया। परन्तु ब्याज की परिणामना करने से पूर्व देय कर से ₹ 8.70 लाख के अधिक आगे ले जाने की कटौती नहीं की।

2.10 बिक्री न किए गए माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ

₹ 3.91 करोड़ मूल्य के इयूटी एवं एनटाइटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) / आयात लाइसेंस का क्रय, जो पुनः बिक्री के लिए प्रयुक्त किए जाने होते हैं, भुगतान योग्य कस्टम इयूटी के विरुद्ध गलत ढंग से समायोजित करने हेतु अनुमत कर दिए गए परिणामतः डीलर को ₹ 20.55 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति हुई।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार, माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.), ऐसे माल की बिक्री अथवा राज्य में उससे विनिर्मित माल अथवा अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य पर कर-देयता के विरुद्ध अनुमत है। सरकार ने स्पष्ट भी किया था (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि इयूटी क्रेडिटस सक्रिय (सक्रिप्स) पुनः बिक्री के लिए खरीदे जाते हैं तथा यदि ये कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो कोई आई.टी. अनुमत नहीं होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), झज्जर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसंबर 2014 तथा दिसंबर 2015) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने 2010-11 से 2012-2013 के दौरान ₹ 20.55 लाख के वैट के भुगतान के बाद ₹ 3.91 करोड़ मूल्य के इयूटी एनटाइटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) / आयात लाइसेंस क्रय किया। डीलर ने उसे, उसके द्वारा देय कस्टम इयूटी के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (सक्रिप्स) बेचे नहीं गए थे, कोई आई.टी. अनुमत नहीं था। तथापि, मई 2013 तथा नवंबर 2014 के मध्य इन मामलों में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए परिणामतः ₹ 20.55 लाख के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), झज्जर ने बताया (जुलाई 2016) कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई हेतु जनवरी 2016 में भेज दिए गए थे। आगे वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (अक्तूबर 2016)।

मामला सरकार को मार्च 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

2.11 क्रय कर का उद्ग्रहण न करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने अपंजीकृत डीलरों से खरीदे गए माल पर क्रय कर उद्गृहीत नहीं किया परिणामतः ₹ 12.13 लाख के क्रय कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.91 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 3 (3) के अनुसार यदि एक डीलर राज्य में किसी स्रोत से कोई करयोग्य माल ऐसी परिस्थितियों में खरीदता अथवा प्राप्त करता है, जहां कोई कर उद्गृहीत अथवा भुगतान नहीं किया जाता है तथा वह उन्हें ऐसी परिस्थितियों में, राज्य से बाहर निर्यात करता है अथवा उनका प्रयोग/निपटान करता है, जिनमें इस अधिनियम अथवा उन पर केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत अथवा उनसे विनिर्मित माल पर कोई कर भुगतान योग्य नहीं है तो वह, उपधारा (4) के प्रावधानों के अध्याधीन उसके क्रय अथवा प्राप्ति पर कर भुगतान

करते हेतु उत्तरदायी होगा। आगे प्रावधान किया गया कि जहां खरीदा गया अथवा प्राप्त माल का अंशतः इस उपधारा के पूवर्ती प्रावधानों में उल्लिखित परिस्थितियों में तथा अंशतः अन्यथा उपयोग अथवा निपटान किया जाता है, ऐसे माल पर उद्ग्राहय कर आनुपातिक आधार पर परिणित किया जाएगा। 2 अप्रैल 2010 से एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्राहय है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहय था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2014) ने प्रकट किया कि एक डीलर ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान कर के भुगतान के बिना राज्य के अंदर अपंजीकृत डीलरों से ₹ 7.31 करोड़ मूल्य के करयोग्य माल ‘पेट स्क्रैप’ खरीदे तथा ‘एफ’ फार्मों के विरुद्ध उसे हरियाणा से बाहर स्थानांतरित कर दिया। चूंकि डीलर ने इस करयोग्य माल का कर के भुगतान के बिना विक्रय/निपटान किया था, डीलर क्रय कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। तथापि, ए.ए. ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए कर निर्धारण फरवरी 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य अंतिम करते समय क्रय कर उदगृहीत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.13 लाख (आनुपातिक आधार पर) का क्रय कर उद्ग्रहण न करने के कारण कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.91 लाख का ब्याज भी उद्ग्राहय था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. पानीपत ने मई 2016 में बताया कि ₹ 12.13 लाख के कर तथा ₹ 9.91 लाख के ब्याज की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। आगे वसूली की प्रगति रिपोर्ट प्रतीक्षित थी (अक्तूबर 2016)।

मामला सरकार को जून 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।